



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 10-2018]

चण्डीगढ़, मगलवार, दिनांक 6 मार्च, 2018
(15 फाल्गुन, 1939 शक)

क्रमांक	विषय वस्तु	विधायी परिशिष्ट	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम कुछ नहीं		
भाग II	अध्यादेश कुछ नहीं		
भाग III	प्रत्यायोजित विधान अधिसूचना संख्या का०आ०11/ह०अ०25/2008/धा०10/2018, दिनांक प्रथम मार्च, 2018 — हरियाणा सरकार, गृह विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ०80/ह०अ०25/2008/धा० 8, 9 तथा 10/2009, दिनांक 26 अगस्त, 2009 में संशोधन बारे। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)		203—204
भाग IV	शुद्धि-पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं।		

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 1st March, 2018

No. S.O.11/H.A.25/2008/S.10/2018.— In exercise of the powers conferred by section 10 of the Haryana Police Act, 2007 (25 of 2008), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Home Department, notification No. S.O.80/H.A.25/2008/Ss. 8, 9 and 10/2009, dated the 26th August, 2009, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Home Department, notification No.S.O.80/H.A.25/2008/Ss.8, 9 and 10/2009, dated the 26th August, 2009, in para 3, under columns 1, 2 and 3,-

- (i) for serial number 3 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

1	2	3
"3.	Police District (South)	1. Police Station, Badshahpur 2. Police Station, Bhondsi 3. Police Station, City Sohna 4. Police Station, Sohna";

- (ii) after serial number 3, the following serial number and entries thereagainst shall be added, namely:-

1	2	3
"4.	Police District (Manesar)	1. Police Station, Sector 37, Gurugram 2. Police Station, Kherki Daula 3. Police Station, Manesar 4. Police Station, Industrial Sector 7, Manesar 5. Police Station, Bilashpur 6. Police Station, Patoudi 7. Police Station, Farukh Nagar".

DR. S. S. PRASAD,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Home Department.

भाग-III

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक प्रथम मार्च, 2018

संख्या का०आ० 11/ह०अ० 25/2008/धा०10/2018- हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (2008 का 25), की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, गृह विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 80/ह०अ० 25/2008/धा० 8, 9 तथा 10/2009, दिनांक 26 अगस्त, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, गृह विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 80/ह०अ० 25/2008/धा० 8, 9 तथा 10/2009, दिनांक 26 अगस्त, 2009 में, पैरा 3 में, खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे-

- (i) क्रम संख्या 3 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्-

1	2	3
"3	पुलिस जिला (दक्षिण)	1. पुलिस थाना, बादशाहपुर 2. पुलिस थाना, भौडसी 3. पुलिस थाना, शहर सोहना 4. पुलिस थाना, सोहना";

- (ii) क्रम संख्या 3 के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्-

1	2	3
"4	पुलिस जिला (मानेसर)	1. पुलिस थाना, सैक्टर 37, गुरुग्राम 2. पुलिस थाना, खेडकी दौला 3. पुलिस थाना, मानेसर 4. पुलिस थाना, औद्योगिक सैक्टर 7, मानेसर 5. पुलिस थाना, बिलासपुर 6. पुलिस थाना, पटौदी 7. पुलिस थाना, फरुखनगर"।

डॉ० श्याम सुन्दर प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।